



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 जुलाई, 2003 ई०

आषाढ़ 19, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 273/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 10 जुलाई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनेलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 को दिनांक 08-07-03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 16, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003

(अधिनियम सं० 16, वर्ष 2003)

राज्य में इक्फाई (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनेलिस्ट्स ऑफ इण्डिया) हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय जिसमें अनुप्रयुक्त वित्तीय प्रबन्धन, सामान्य प्रबन्धन, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय तथा उद्योग से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जायेगा और उसे निगमित करने एवं उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम “इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003” कहलायेगा।

संक्षिप्त
शीर्षक एवं,
प्रारम्भ

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाली तिथि को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

- (क) 'विद्या परिषद्' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;
- (ख) 'संघटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, या संस्था से है;
- (ग) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;
- (घ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, अन्य पारस्परिक विधिया, ई-मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई-लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;
- (च) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी आते हैं;
- (छ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की संकाय से है;
- (ज) 'विहित' का तात्पर्य 'परिनियमों द्वारा विहित' से है;
- (झ) किसी संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य संघटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत जहां प्राचार्य न हो, वह उप-प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति से है;
- (ट) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से किया गया हो;
- (ठ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;
- (ड) 'परिनियमों और नियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों व नियमावली से है;
- (ढ) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;
- (त) 'इक्फाई' का तात्पर्य भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषण संस्थान विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनेलिस्ट्स ऑफ इण्डिया) की प्रयोजक संस्था भारतीय सनदी वित्तीय संस्थान से है जो हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत सोसाइटी है;
- (थ) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी आता है।

- (द) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई है;
- (न) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित इक्काई विश्वविद्यालय देहरादून से है;
- (प) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

3. (1) इक्काई को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय
की स्थापना के
लिये प्रस्ताव

(2) इक्काई राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन-पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे :-

- (क) इक्काई के पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;
- (ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;
- (ग) आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;
- (घ) संकायों की प्रकृति, पाठ्यक्रम तथा आरम्भ किया जाने वाला प्रस्तावित शोध कार्य;
- (च) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे-मवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख सुविधायें;
- (छ) आगामी पांच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिचय;
- (ज) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय;
- (झ) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;
- (ट) आन्तरिक संसाधनों-विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;
- (ठ) संस्था की लागत पर आने वाले व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ तथा प्रवासी भारतीयों एवं विदेश से आने वाले विद्यार्थियों से विभिन्न दरों पर, यदि कोई हों, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा;
- (ड) इक्काई में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन;
- (ढ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति तथा;
- (न) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व ऐसी अन्य शक्तों की, जिनकी पूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित हो, पूर्ति की प्रास्थिति;

विश्वविद्यालय की
स्थापना

4. (1) यदि प्रदेश सरकार आवश्यक को ऐसी जांच करने के उपरान्त, जिसे वह आवश्यक समझे, का समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं तो इक्काई हैदराबाद को स्थाई विन्यास निधि स्थापित करने के लिए निर्देश देंगी।

(2) स्थायी विन्यास निधि की स्थापना के उपरान्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तरांचल, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये वह अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों की स्थापना विजिटर के अनुमोदन से कर सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं व्यवस्थापक मंडल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद् के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुए निगमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर कर सकेंगे एवं व्यथित पक्ष द्वारा उनके विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

(5) उपधारा 2 के अधीन उत्तरांचल राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत निर्मित, सृजित, व्यवस्थित अथवा निर्मित भूमि तथा चल एवं अचल सम्पत्तियां भी लिये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा इक्काई हैदराबाद की सम्पत्तियों को छोड़कर विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का
वित्तीय सहायता
आदि के लिए
हकदार न होना

5. विश्वविद्यालय स्वतः वित्त पोषक होगा और राज्य सरकार के स्वागित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता अनुदान, या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई माँग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को
सम्बद्ध करने की
शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के
उद्देश्य

7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं :-

(क) वित्तीय विश्लेषण, बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय प्रबन्धन, सामान्य प्रबन्धन, प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं, विधि तथा सम्बन्धित विषयों सहित वित्त एवं प्रबन्ध के विशिष्ट क्षेत्रों के शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा शोध कार्य तथा उन विषयों में ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार की व्यवस्था करना;

(ख) उत्तरांचल राज्य में विश्वविद्यालय परिसर और भारत में विभिन्न स्थानों तथा विदेशों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना;

(ग) अनवरत एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना;

(घ) परीक्षा अथवा मूल्यांकन किसी अन्य विधि के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना।

(च) छात्रों, संकाय सदस्यों तथा अन्य के लिए विशेष शैक्षिक तथा अनुसंधान कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विनियम कार्यक्रमों की संकल्पना, रूपरेखा तैयार करने और विकास हेतु भारत या समुन्दर पार के देशों में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, उद्योगों के संघ, व्यावसायिक संघ या किसी अन्य संगठन से सहयोग।

- (छ) गोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यपालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, प्रकाशनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ज्ञान का प्रसार।
- (ज) भारत या विदेशों में विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों के संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना।
- (झ) भारत तथा विदेशों में किसी संगठन के साथ सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करना तथा प्रौद्योगिकियों का व्यापारीकरण।
- (ट) उपर्युक्त उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु समस्त आवश्यक अथवा समीचीन कार्य।
- (ठ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य के अनुसार कार्य करना।

8. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

- (क) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण एवं मान्यता प्रदान करना जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे अन्य समस्त गतिविधियाँ सम्पादित करना जो आवश्यक अथवा साध्य हों;
- (ग) परिनियमों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना;
- (घ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;
- (च) ऐसे शुल्क, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा ऐसे प्रभार संग्रह करना जो यथास्थिति परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किये जायें;
- (छ) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर क्रिया-कलापों की व्यवस्था करना;
- (ज) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
- (झ) विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों के प्रयोजनार्थ सदान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निपटारा करना।
- (ट) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, के छात्रों के लिए छात्रावास (हॉल) संस्थित और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;
- (ठ) आवास का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना और आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना।
- (ड) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन;
- (ढ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे;

- (त) दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;
- (थ) अध्यापकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य, कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;
- (द) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;
- (ध) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तरांचल राज्य के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था करना;
- (न) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के प्रासंगिक हों या न हों।
- (प) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार होगा।
- (फ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियाँ, न्यास की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होंगी।
- (ब) फिल्म, कैंसेट, टेप वीडियो कैंसेट, सीडी, वीसीडी और अन्य सॉफ्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना।
- (म) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त करना।
- (म) शासी निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋण प्राप्त करना।
- (य) संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों। परन्तु, इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है।

राष्ट्रीय/प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय
के अधिकारी

- (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर);
- (ख) कुलाधिपति;
- (ग) कुलपति;
- (घ) प्रति-कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर);
- (च) कुल सचिव;
- (छ) वित्त अधिकारी; और
- (ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

12. (1) उत्तरांचल के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

कुलाध्यक्ष
(विजिटर)

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्—

- (क) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी पत्र या सूचना को मंगाना;
- (ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर कुलाध्यक्ष यदि उसका समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम, परिनियम, अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

13. (1) इक्काई कुलाधिपति के पद पर नियुक्ति के उपयुक्त व्यक्ति को कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से इक्काई का कुलाधिपति नियुक्त करेंगे।

कुलाधिपति

(2) इस प्रकार नियुक्त कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेंगे।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उसे इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जाये।

14. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

कुलपति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

- (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;
- (घ) व्यवस्थापक मण्डल के दो नाम निर्देशिती, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर उप-कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षित योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टताओं को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली अभिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के बाद कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त है। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति-कुलपति
(प्रो-वाइस
चांसलर)

15. प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जाये और प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकाय अध्यक्ष

16. संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी कि परिनियमों के द्वारा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव

17. (1) कुल सचिव, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी कि विहित की जाएं।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें, या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएँ और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

वित्त अधिकारी

18. वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि विहित किये जायें।

अन्य अधिकारी
गण

19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियों तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय
के प्राधिकारी

- (क) व्यवस्थापक मण्डल;
- (ख) प्रबन्ध मण्डल;
- (ग) विद्या परिषद्;
- (घ) वित्त समिति; और;
- (च) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय से प्राधिकारी घोषित किया जाये।

21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे :-

व्यवस्थापक
मण्डल और
उसकी शक्तियाँ

- (क) कुलाधिपति — अध्यक्ष
- (ख) कुलपति — सदस्य-सचिव
- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार का सचिव;
- (घ) इक्काई हैदराबाद द्वारा नामित तीन सदस्य;
- (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित व्यक्ति;
- (च) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित राज्य के दो प्रख्यात विद्याविद् एवं शिक्षाविद् जिनमें न्यूनतम एक महिला होगी।
- (छ) कुलाधिपति द्वारा नामित दो विद्याविद् जिनमें न्यूनतम एक महिला होगी। कुलसचिव व्यवस्थापक मण्डल का पदेन सदस्य होगा। कुलसचिव व्यवस्थापक मण्डल का पदेन सचिव होगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-

- (क) विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;
- (ग) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनरावलोकन;
- (घ) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन;
- (ङ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना, या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावली का संशोधन या निरसन;
- (च) विश्वविद्यालय के स्दैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना; और
- (छ) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन, और
- (ज) ऐसे निर्णय एवं उपाय करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाये गये हैं।

(3) व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में न्यूनतम तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर रखेगा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे।

प्रबन्ध मण्डल

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) कुलपति;

(ख) कुलसचिव;

(ग) इक्काई, हैदराबाद द्वारा नामित चार व्यक्ति;

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामित संकायों के दो संकायाध्यक्ष;

(ङ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो;

कुलपति प्रबन्ध मण्डल का सभापति तथा कुल सचिव प्रबन्ध मण्डल का सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य वहीं होंगे, जो विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

23. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) कुलपति

— सभापति

(ख) कुल सचिव

— सचिव

(ग) ऐसे अन्य सदस्य

— जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के अन्तर्गत रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

वित्त समिति

24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) कुलपति

— सभापति

(ख) कुल सचिव

— सचिव

(ग) वित्त अधिकारी

(घ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव स्तर से निम्न पद का न हो।

(ङ) ऐसे अन्य सदस्य, जैसा परिनियमों में विहित किया जाये।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय संस्था होगी, जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

अन्य प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि विहित किये जायें।

रिक्ति के कारण
कार्यवाही का
अविधिमान्य न
होना

26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय—5

परिनियम और नियम

परिनियम

27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों से सम्बद्ध किसी विषय के लिए परिनियम द्वारा व्यवस्था की जा सकती है जो निम्नवत् है :-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य-सम्पादन और ऐसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया जो इस विधेयक में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं;
- (ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संप्रचालन;
- (ग) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
- (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा शर्तें;
- (च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;
- (छ) विभागों और संकायों का सृजन, समुत्सादन और उनकी पुनर्संरचना;
- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं से सहयोग की रीति;
- (झ) मानद उपाधियों प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (ट) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के सम्बन्ध में उपबन्ध;
- (ठ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया भी सम्मिलित है तथा उत्तरांचल के विद्यार्थियों के लिए स्थानों के आरक्षण की प्रक्रिया;
- (ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;
- (ढ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- (त) पदों का सृजन और समापन की प्रक्रिया;
- (थ) अन्य विहित विषय।

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनांक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेंगे।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

29. व्यवस्थापक मंडल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

परिनियमों में संशोधन करने की शक्ति नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियमों में निम्नलिखित समस्त या विषयों के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;
- (घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (च) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों (मॉडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

- (छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विष्टिताओं में प्रवेश के लिए लिये जाने वाला शुल्क;
- (ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
- (ट) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जाये।

नियम किस प्रकार बनाये जायेंगे

31. (1) नियमावली व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनायी जायेगी और इस प्रकार बनायी गयी नियमावली राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी, जो कि नियमावली की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के अन्दर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो, वहां यह समझा जायेगा कि राज्य सरकार ने नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।

नियमों को संशोधित करने की शक्ति

32. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए और प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से विद्या परिषद नये या अतिरिक्त नियम बना सकेगी या नियमावली को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

33. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

(2) छात्रों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विश्वविद्यालय परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्य सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(4) ऐसे मामलों में अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विहित की जाये।

अपील का अधिकार

34. विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्राचार्य, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधियां एवं पेंशन

35. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जो वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन सम्बन्धी विवाद

36. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

37. धारा 20 (1) में उल्लिखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समिति गठित करने की शक्ति होगी जिसमें ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी शक्तियां होगी जो ऐसा प्राधिकरण उचित समझे।

समितियों का गठन

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्त की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्त की पूर्ति करनी हो, और रिक्त की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती सदस्य बना रहता।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

39. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में, इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी है, या की जाने के लिए आशयित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।

सद्भावनापूर्ण की गयी कार्यवाही के प्रति संरक्षण

40. इस अधिनियम और परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी:-

संक्रमणकालीन प्रावधान

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रति कुलपति (प्रो-वाइस चांसलर), यदि कोई है की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी जो तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल में तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारणा करेगा;

(घ) प्रथम प्रबन्धक मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

41. (1) विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम एक करोड़ रुपये की धनराशि से एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर स्वमेव ही बढ़ा सकेगा, परन्तु घटा नहीं सकता;

स्थायी विन्यास निधि

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को विविध रीति से निवेश करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि या विकास निधि से कोई भी धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा, किन्तु स्थायी विन्यास में से किसी राशि को विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति को छोड़कर किसी भी अन्य परिस्थिति में अन्यत्र प्रयोजनों के लिए अन्तरित नहीं कर सकेगा;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त आय का 75 प्रतिशत से अनधिक विश्वविद्यालय विकास के लिए उपयोग में लाया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत को स्थायी विन्यास निधि में पुनः निवेशित किया जायेगा।

42. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्-

सामान्य निधि

(क) सभी शुल्क जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाये;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) इक्काई, हैदराबाद द्वारा किये गये समस्त अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान।

- (2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिये किया जायेगा।
- विकास निधि 43. (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्—
- (क) विकास शुल्क—जिसे छात्र पर प्रभारित किया जाये;
- (ख) विश्वविद्यालय के विकास प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
- (ग) इक्फाई, हैदराबाद द्वारा किये गये सभी अंशदान;
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/दान; और
- (च) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
- (2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
- निधि का अनुरक्षण 44. धारा 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित एवं अनुरक्षित किया जायेगा।
- वार्षिक प्रतिवेदन 45. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशन के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) व्यवस्थापक मण्डल अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।
- (3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को वर्ष की समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।
- लेखा तथा लेखा-परीक्षा 46. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्धक मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोदभूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जायेगी जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई0सी0ए0आई0) का सदस्य हो।
- (3) लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र की एक प्रति, प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उस पर अपनी सम्प्रेक्षण 31 दिसम्बर से पहले अभ्युक्तियों के साथ प्रति वर्ष उसे कुलाध्यक्ष और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- (5) लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन में किसी सारवान शर्त होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये जायेंगे और ऐसे निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बन्धनकारी होंगे।

47. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की कोई रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से विधिवत रखी गयी किसी पंजी की कोई प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती हो, तो वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की विधि

48. (1) यदि इक्फाई, हैदराबाद अपने संगठन या निगमन को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार इक्फाई विश्वविद्यालय के विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।

विश्वविद्यालय का विघटन

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाइयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाये, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय का परिसमापन ऐसी रीति से किया जायेगा जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, परन्तु उसके लिए इक्फाई, हैदराबाद को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके इक्फाई, हैदराबाद द्वारा विश्वविद्यालय विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

49. (1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए होना वाला व्यय स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

50 (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना या आदेश द्वारा, ऐसे प्राविधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

कठिनाईयों का निवारण

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिनियम या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,
भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the ICFAI University Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 16 of 2003) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on July 08, 2003.

No. 273/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, July 10, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE ICFAI UNIVERSITY ACT, 2003

(ACT No. 16 OF 2003)

AN

ACT

to establish and incorporate an University in the State, with emphasis on providing high quality and industry relevant education in the areas of Applied Financial Management, General Management, Applied Sciences and Technology, sponsored by The Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI), Hyderabad, Andhra Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows:--

CHAPTER-1

Preliminary

Short title, and
Commencement

1. (1) This Act may be called the ICFAI University Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on the date, the Notification is issued by the State Government.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires :--

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "Constituent College" means a college or institution maintained by the University;
- (c) "Council for Technical Education" means the All India Council for Technical Education established under section 3 of the All India Council for Technical Education Act, 1987;
- (d) "Distance Education System" means the system of imparting education through any means of information technology and communication such as multimedia, broadcasting, telecasting, online over internet, other interactive methods, e-mail, internet, computer, interactive talk back, e-learning, correspondence course, seminar, contact program or a combination of any two or more of such means;
- (e) "Employee" means employee appointed by the University; and includes teachers and other staff of the University or of a constituent college;
- (f) "Faculty" means faculty of the University;
- (g) "ICFAI" means the Institute of Chartered Financial Analysts of India, the sponsoring body of the ICFAI University, which is a registered Society at Hyderabad, Andhra Pradesh;
- (h) "Prescribed" means prescribed by the Statutes;

- (i) "Principal" in relation to a constituent college, means the Head of the constituent college and includes, where there is no Principal, the Vice-principal or any other person for the time being appointed to act as Principal;
- (j) "Regional Center" means a center established or maintained by the University for the purpose of co-ordinating and supervising the work of Study Centres in any region and for performing such other functions as may be conferred on such centre by the Board of Management;
- (k) "State" means State of Uttaranchal;
- (l) "Statutes" and "Rules" means, respectively, the Statutes and Rules of the University;
- (m) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students;
- (n) "Teacher" means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor/Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in a constituent college and institution and includes the Principal of a constituent college, in conformity with the norms prescribed by the UGC;
- (o) "UGC" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956;
- (p) "University" means the ICFAI University, Dehradun;
- (q) "Visitor" means the Visitor of the University.

CHAPTER--II

The University and its Objects

3. (1) ICFAI shall have the right to establish the University in accordance with the provisions of this Act.

(2) An application containing the proposal to establish a University shall be made to the State Government by the ICFAI.

The proposal shall contain the following particulars, namely :—

- (a) the objects of the University alongwith the details of the ICFAI;
- (b) the extent and status of the University and the availability of land;
- (c) the nature and type of programs of study and research to be undertaken in the University during a period of the next five years;
- (d) the nature of faculties, courses of study and research proposed to be started;
- (e) the campus development such as buildings, equipment and structural amenities;
- (f) the phased outlays of capital expenditure for a period of the next five years;
- (g) the item-wise recurring expenditure, sources of finance and estimated expenditure for each student;
- (h) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayments to each source;
- (i) the scheme of generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy and other activities relating to the objects of the University and other anticipated incomes;

Proposal for
the
establishment
of the
University

- (j) the details of expenditure on unit cost, the extent of concessions or rebates in fee, freeship and scholarship for students belonging to economically weaker sections and the fee structure indicating varying rate of fee, if any, that would be levied on non-resident Indians and students of other nationalities;
- (k) the years of experience and expertise in the concerned discipline at the command of the ICFAI as well as the financial resources;
- (l) the system for selection of students to the courses of study at the University; and
- (m) status of fulfilment of such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

Establishment
of University

4. (1) Where the State Government, after such inquiry as it may deem necessary, is satisfied that ICFAI, Hyderabad has fulfilled the conditions specified in sub-section (2), of Section 3, it may direct the ICFAI, Hyderabad to establish an Endowment Fund.

(2) After the establishment of the Endowment Fund, the State Government may, by notification in the Official Gazette, accord sanction for establishment of the University.

(3) The headquarters of University shall be at Dehradun, Uttaranchal and it may have campuses or Regional Centres, Study Centres anywhere in India or overseas with approval of the Visitor.

(4) The Chancellor, the Vice-Chancellor, members of the Board of Governors, members of the Board of Management and the Academic Council for the time being holding office as such in the University so established, shall constitute a body corporate and can sue and be sued in the name of the University.

(5) On the establishment of the University under sub-section (2), the land and other movable and immovable properties acquired, created, arranged or built by the University for the purpose of the University in the State of Uttaranchal shall vest in the University.

(6) The land, building and other properties acquired for the University shall not be used for any purpose, other than that for which the same is acquired.

University not
to be entitled to
financial
assistance

5. The University shall be self-financing and shall neither make a demand nor shall be entitled to any grant in-aid or any other financial assistance from the State Government or any other body or corporation owned or controlled by the State Government.

No Power to
affiliate any
institution

6. The University may have constituent colleges, Regional Centers and Study Centres but shall have no power to admit any other college or institution to the privileges of affiliation.

Objects of the
University

7. The objectives for which the University is established are as follows:--

- (a) To provide instruction, teaching, training and research in specialized fields of Finance and Management including Financial Analysis, Banking, Insurance, Financial Services, Financial Management, General Management; various branches of Technology and related subjects, and make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge therein;
- (b) To establish a campus in the State of Uttaranchal, and to have study centers at different places in India and other countries;
- (c) To offer continuing and distance education programs;

- (d) To institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination, or any other method of evaluation;
- (e) To collaborate with any other college or university, research institution, industry association, professional association or any other organization, in India or overseas, to conceptualize, design and develop specific educational and research programs, training programs and exchange programs for students, faculty members and others;
- (f) To disseminate knowledge through seminars, conferences, executive education programs, community development programs, publications, and training programs;
- (g) To undertake programs for the taining and development of faculty membes of the University and other institutions in India or overseas;
- (h) To undertake collaborative research with any organization in India or overseas;
- (i) To do all things necessary or expedient to promote the above objectives;
- (j) To pursue any other objective as may be approved by the State Government.

8. (1) The University shall have the following powers, viz :--

Powers of
the University

- (a) to establish, maintain and recognize such Regional Centres and Study Centres as may be determined by the University from time to time in the manner laid down by the statutes;
- (b) to carry out all such other activities as may be necessary or feasible in furtherance of the object of the University;
- (c) to confer degrees or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes;
- (d) to institute and award fellowships, scholarships and prizes etc. in accordance with the Statutes;
- (e) to demand and receive such fees, bills, invoices and collect charges as may be fixed by the Statutes or rules, as the case may be;
- (f) to make provisions for extra curricular activities for students and employees;
- (g) to make appointments of the faculty, officers and employees of the University or a constituent college, Regional Centres, Study Centres;
- (h) to receive donations and gifts of any kind and to acquire, hold, manage, maintain and dispose of any movable or immovable property, including trust and endowment properties for the purpose of the University or a constituent college, or a Regional Centre, Sudty Centre;
- (i) to institute and maintain halls and to recognize places of residence for students of the University or a constituent college;
- (j) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their Code of Conduct;
- (k) to create Academic, Administrative and support staff and other necessary posts;

- (l) to co-operative and collaborate with other Universities in such a manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (m) to provide distant education system and the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organised;
- (n) to organize and conduct refresher courses, orientation courses workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
- (o) to determine standards of admission to the University or a constituent college, regional centres, study Centres with the approval of Academic Council;
- (p) to make special provision for students belonging to the State of Uttaranchal for admission in any course of the University or in a constituent college, Regional Centre or Study Centre;
- (q) to do all such other acts or things weather incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the University;
- (r) to prescribe such courses for Bachelor Degree, Post graduate, Doctor of Philosophy, Doctor of Science Degrees and Research which would be covered by UGC and AICTE but University shall have right to start diplomas, certificates etc. in its own subjects;
- (s) to clearly set apart the academic activities of the University from the activities of the Trust;
- (t) to provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, video cassettes, CD, VCD and other software;
- (u) to recognise examinations of, or periods of study (whether in full or in part) of other Universities, Institutions or other places of Higher learning as equivalent to examinations or periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time;
- (v) to raise, collect, subscribe and borrow with the approval with the Governing Body whether on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (w) to enter into, carry out, vary or cancel contracts.

University open
to all calsses,
castes, creed
and gender

9. The University shall be open to all persons irrespective of class, creed or gender :

Provided that nothing in this section shall be deemed to requires the University from making special provisions for admission to students of the State of Uttaranchal.

National
Accreditation

10. The University will seek accreditation from respective national accreditation bodies.

CHAPTER--III

Officers of the University

11. The following shall be the officers of the University :--

Officers of
the University

- (a) the Visitor;
- (b) the Chancellor;
- (c) the Vice-Chancellor;
- (d) the Pro Vice-Chancellor;
- (e) the Registrar;
- (f) the Finance Officer; and
- (g) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

12. (1) The Governor of Uttaranchal will be the Visitor of the University.

The Visitor

(2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas.

(3) The Visitor shall have the following powers namely:--

- (a) To call for any paper or information relating to the affairs of the University.
- (b) On the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the Act, Regulations, Ordinances or Rules, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all concerned.

13. (1) The ICFAI shall, with the prior approval of the Visitor, appoint a person suitable to be appointed as Chancellor, as the Chancellor of the ICFAI University.

The
Chancellor

(2) The Chancellor so appointed shall hold the office for a period of five years.

(3) The Chancellor shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made thereunder.

14. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed by the statutes for a term of three years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).

The Vice-
Chancellor

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, viz :--

- (a) One person nominated by the Visitor;
- (b) One person nominated by the Chancellor;
- (c) The Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
- (d) Two nominees of the Board of Governors, one of whom shall be nominated as the convener of the committee by the Board of Governors.

(3) The committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor alongwith a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.

(4) The Vice-Chancellor shall be the Principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.

(5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the rules.

(7) The Chancellor is empowered to remove the Vice-Chancellor after due enquiry. It will be open to the Chancellor to suspend the Vice-Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.

The Pro-Vice-Chancellor

15. A Pro-Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-Chancellor with prior approval of the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.

Deans of Faculties

16. Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.

The Registrar

17. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.

(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Chancellor or the Vice-Chancellor.

(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other authority, all such information and documents as may be necessary for transaction of their business.

The Finance Officer

18. The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

Other Officers

19. The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER--IV

Authorities of the University

Authorities of the University

20. The following shall be the authorities of the University, namely :--

- (a) The Board of Governors;
- (b) The Board of Management;
- (c) The Academic Council;
- (d) The Finance Committee; and
- (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

The Board of Governors and its powers

21. (1) The Board of Governors shall consist of--

- (a) The Chancellor - Chairman;
- (b) The Vice-Chancellor - Member-Secretary;
- (c) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or a Secretary to the State Government nominated by the State Government.

- (d) Three persons nominated by the ICFAI, Hyderabad;
- (e) A nominee of the U.G.C;
- (f) Two eminent educationists and academicians, out of whom at least one will be a woman, nominated by the Visitor;
- (g) Two academicians out of whom at least one will be a woman nominated by the Chancellor.

The Registrar shall be an ex-officio Secretary of the Board of Governors.

(2) The Board of Governors shall be the principal governing body of the University and shall have the following powers, namely :--

- (a) to appoint the Statutory Auditors of the University;
- (b) to lay down policies to be pursued by the University;
- (c) to review decisions of the other authorities of the University if they are not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes or the Rules;
- (d) to approve the budget and annual report of the University;
- (e) to make new or additional Statutes or amend or repeal the earlier Statutes and Rules;
- (f) to take decision about voluntary winding up of the University;
- (g) to approve proposals for submission to the State Government; and
- (h) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University.

(3) The Board of Governors shall, meet atleast thrice a year at such time and place as the Chancellor thinks fit.

22. (1) The Board of Management shall consist of :--

The Board of Management

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Registrar;
- (c) four persons, nominated by the ICFAI, Hyderabad;
- (d) two Deans of the faculties as nominated by the Chancellor;
- (e) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government.

The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of management and the Registrar shall be the Secretary of the Board of Management.

(2) The powers and functions of the Board of management shall be such as may be prescribed.

23. (1) The Academic Council shall consist of :--

The Academic Council

- (a) the Vice-Chancellor - Chairman;
- (b) the Registrar - Secretary;
- (c) such other members as may be prescribed in the Statutes.

(2) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Rules, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

24. (1) The Finance Committee shall consist of :--

The Finance Committee

- (a) the Vice-Chancellor - Chairman;
- (b) the Registrar - Secretary;
- (c) the Finance Officer
- (d) Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government;
- (e) such other members as may be prescribed in the Statutes.

University to take care of financial matters and shall, subject to the provisions of this Act, Rules, Statutes and Acts, co-ordinate and exercise general supervision over the financial matters of the University.

Other
Authorities

25. The constitution, powers and functions of the other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Proceedings
not invalidated
on account of
vacancy

26. No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the authority.

CHAPTER--V

Statutes and Rules

Statutes

27. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and staff, as given below :--

- (a) the procedure for transaction of business of the Authorities of the University and the composition of bodies not specified in this Act;
- (b) the operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
- (c) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor, the Registrar and the Finance Officer and their powers and functions;
- (d) the mode of recruitment and the conditions of service of the other officers, teachers and employees of the University;
- (e) the procedure for resolving disputes between the University and its officers, faculty members, employees and students;
- (f) creation, abolition or restructuring of departments and faculties;
- (g) the manner of co-operation with other Universities or institutions of higher learning;
- (h) the procedure for conferment of honorary degrees;
- (i) provisions regarding grant of freeships and scholarships;
- (j) number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats for Uttaranchal students;
- (k) the fee chargeable from students for various courses of studies;
- (l) institution of fellowships, scholarships, studentships, freeships, medals and prizes;
- (m) procedure for creation and abolition of posts;
- (n) other matters which may be prescribed.

Statutes how
made

28. (1) The first Statutes framed by the Board of Governors shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within three months from the date of receipt of the Statutes give its approval with or without modification.

(2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the Statutes within the period specified under Sub-section (1) it shall be deemed to have been approved by the State Government.

Power to
amend the
Statutes

29. The Board of Governors may, with the prior approval of the State Government, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes.

30. Subject to the provisions of this Act, the Rules may provide for all or any of the following matters, namely :--

Rules

- (a) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
- (b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;
- (c) the award of degrees and other academic distinctions;
- (d) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (e) the conduct of examinations and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators and moderators;
- (f) the fee to be charged for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;
- (g) the conditions of residence of the students at the University or a constituent college;
- (h) maintenance of discipline among the students of the University or a constituent college;
- (i) all other matters as may be provided in the Statutes and rules under the Act.

31. (1) The Rules shall be made by the Board of Governors and the rules so made shall be submitted to the State Government for its approval, which may, within two months from the date of receipt of the rules, give its approval with or without modification.

Rules how made

(2) Where the State Government fails to take any decision with respect to the approval of the rules within the period specified under sub-section (1), it shall be deemed to have been approved by the State Government.

32. The Academic council may, with the approval of the Board of Management, make new or additional rules or amend or repeal the rules, subject to the approval of the State Government.

Power to amend Rules

CHAPTER--VI

Miscellaneous

33. (1) Every employee shall be appointed under a written contract, which shall be kept in the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

Conditions of service of employees

(2) Disciplinary action against the students/employees shall be governed by procedure prescribed in the Statutes.

(3) Any dispute arising out of the contract between the University and an employee shall, at the request of the employee, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

(4) The decision of tribunal in such matter shall be final.

(5) The procedure for regulating the work of the tribunal shall be such as may be prescribed.

34. Every employee or student of the University or of a constituent college, shall notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the Principal of any such college, and thereupon the Board of Management may confirm, modify or change the decision appealed against.

Right to appeal

Provident fund and pension	35. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
Disputes as to constitution of University authorities and bodies	36. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
Constitution of committees	37. Any authority of the University mentioned in Section 20 (1) will be empowered to constitute a committee of such authority, consisting of such members as such authority may deem fit, and having such powers as the authority may deem fit.
Filling of casual vacancies	38. Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members, of any Authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he/she fills would have been a member.
Protection of action taken in good faith	39. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Rules.
Transitional provisions	40. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act and the Statutes :-- (a) the first Vice-Chancellor and pro-Vice-Chancellor, if any shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of three year; (b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor who shall hold office for a term of three years; (c) the first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years; (d) the first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council shall be constituted by the Chancellor for a term of three years.
Permanent Endowment Fund	41. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of atleast rupees one crore, which may be increased suo motu but shall not be decreased. (2) The University shall have power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed. (3) The university may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund. Excepting in the dissolution of the University, in no other circumstances can any monies be transferred from corpus of the endowment fund for other purposes. (4) Not exceeding 75% of the incomes received from the corpus permanent endowment fund shall be used for the purposes of development works of the University. The remaining 25% shall be reinvested into the permanent endowment fund.
General fund	42. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely :-- (a) all fees which may be charged by the University; (b) all sums received from any other source; (c) all contributions made by the ICFAI Hyderabad; (d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body, which are not prohibited by any law for the time being in force.

(2) The funds credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditure of the University.

43.(1) The University shall also establish a development fund to which the following funds shall be credited, namely :--

Development
fund

- (a) development fees which may be charged from students;
- (b) all sums received from any other source for the purposes of the development of the University;
- (c) all contributions made by the ICFAI, Hyderabad;
- (d) all contributions/donations made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and
- (e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) The funds credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

44. The funds established under sections 41, 42 and 43 shall, subject to general supervision and control of the Board of Governors, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Maintenance
of fund

45. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors for its approval.

Annual
Report

(2) The Board of Governors shall consider the annual report in its meeting and may approve the same with or without modification.

(3) A copy of the annual report duly approved by the Board of Governors shall be sent to Visitor and the State Government before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.

46. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and all funds accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

Account and
audit

(2) The annual accounts of the University shall be audited by an auditor, who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India, every year.

(3) A copy of the annual accounts and the Balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Board of governors well before 31 December following close of the financial year in 31 March each year.

(4) The annual accounts, the Balance sheet and the audit report shall be considered by the Board of Governors at its meeting and the Board of Governors shall forward the same to the Visitor and the State Government alongwith its observations thereon before the 31st December each year.

(5) In the event of any material qualifications in the Report of the Auditors, the State Government may issue directions to the University, and such directions shall be binding on the University.

47. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the university or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

Mode of proof
of University
record

48. (1) If ICFAI, Hyderabad proposes dissolution of the ICFAI University in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least three months notice in writing to the State Government.

Dissolution of
University

(2) On identification of mismanagement, mal-administration, in-discipline, failure in the accomplishment of the objects of University and economic hardships in the management systems of University, the State Government would issue directions to the management system of University. If the direction are not followed within such time as may be prescribed, the right to take decision for winding up of the University would vest in the State Government.

(3) The manner of winding up of the University would be such as may be prescribed by the State Government in this behalf. Provided that no such action will be initiated without affording a reasonable opportunity to show cause to the ICFAI.

(4) On receipt of the notice referred to in sub-section (1), the State Government shall, in consultation with the council for Technical Education and U.G.C. make such arrangements for administration of the University from the proposed date of dissolution of the University by ICFAI, Hyderabad and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed by the Statutes.

Expenditure of
the University
during
dissolution

49. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over period of its management under section 48 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund or the development fund.

(2) If the fund referred to sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over period of its management, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University, by the State Government.

Removal of
difficulties

50. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notification or order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty :

Provided that no notification order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State legislature.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.